क्रम संख्या—156

अर्ध शा० प० सं० 1–ए० क्यू० का०–1/88

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–1
लखनऊ, दिनांक 11 मार्च, 1988

प्रिय महोदय,

मुझे आपका ध्यान तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा जारी किये गये अर्धशा० प० संख्या 9/6/1977—कार्मिक–1, दिनांक 16 जुलाई, 1977 तथा 19/18/1977–1–कार्मिक–1, दिनांक 10 अगस्त, 1977 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे विधायकगण एवं संसद सदस्यों के साथ मृदु एवं शिष्टता का व्यवहार करें और कठिन परिस्थितियों में भी संयम से कार्य किया जाय जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

2—शासन की दृष्टि में यह लाया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन आदेशों का बड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है । अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पुनः अवगत करा दें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय;
सिद्धार्थ बेहुरा

(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) मंत्रीगण के निजी सचिव (मंत्री जी के सूचनार्थ)।

नोट—कृपया संलग्नक के लिये क्रम संख्या–155 के साथ पृष्ठ 349 देखें ।

---

क्रम संख्या—157

गोपनीय

संख्या 3 ए०/क्यू०/कार्मिक–1/1988

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 21 अप्रैल, 1988

विषय :–अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास न किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सी–1742/कार्मिक–1/1982, दिनांक 10 सितम्बर, 1982 (अनुलग्नक–1) में यह निर्देश दिये गये हैं कि अधिकारीगण द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास न किये जायं । तदोपरांत गोपनीय अर्धशासकीय पत्र संख्या–16/2/1983–का०–1, दिनांक 15 अप्रैल, 1983(अनुलग्नक–2)में पुनः यह निर्देश दिए गये हैं कि किसी भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोहों अथवा विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण किये जाने अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से जाय नहीं जैंये ।

2--शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि शासन की उक्त नीति का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त नीति के क्रियान्वयन पर पुनः बल देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की उपरोक्त नीतियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त नीति के उल्लंघन के मामलों को शासन द्वारा कठोरता से लिया जायेगा।

3--आप से अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्देशों को अपने अधीन समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव।

संख्या 3-ए0 यू0/कार्मिक-1/1988, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—राज्यपाल, उ0 प्र0 के सचिव।
3--मंत्रियों के निजी सचिव को मंत्री जी के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
जे० डी० पुरी,
संयुक्त सचिव।

---

अनुलग्नक-1

गोपनीय

संख्या-बी-1742/कार्मिक-1/82

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 10 दिसम्बर, 198

कार्मिक अनुभाग-1

महोदय,

शासन के समक्ष कुछ समय से यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि क्या अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों अथवा उत्सव पर भवनों, सार्वजनिक सम्पत्तियों आदि के उद्घाटन में भाग लेना अथवा शिलान्यास करना उचित होगा अथवा नहीं। इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्कालीन मुख्य सचिव के गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 6855/ए-1958, दिनांक 4 अगस्त, 1958 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश समस्त अधिकारियों के अनुपालनार्थ जारी किये गये थे।

"———Similar considerations should broadly regulate the conduct of officers in laying foundation stones or in inaugurating functions. It is to be realised in this connection that it will add to the success and effectiveness of government servants themselves if they endeavour to function in anonymity. It is of course not intended that they should not be present at such functions. Actually participation in them, wherever possible and convenient, would be helpful as their presence is likely to add to the enthusiasm of the people and help them in their difficulties. Government servent should not, however, accept the loading role in such functions."

2—उक्त निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया था कि अधिकारी वर्ग द्वारा शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोहों में उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना उचित नहीं होगा। शासन की जानकारी में यह बात आई है कि कहीं-कहीं सरकारी अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाता है जो शासन की पूर्ण निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं है।

3—वर्णित परिस्थितियों में शासन की उपरोक्त नीति के संबंध में पुनः बल देते हुये मुझे आप से यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि समस्त अधिकारियों को शासन की उक्त नीति को स्पष्ट करते हुए यह बता दिया जाय कि अधिकारीगण किसी भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास न करें।

4—आपसे अनुरोध है कि शासन की उक्त नीति से समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला
मुख्य सचिव।

संख्या बी-1742 (1)/कार्मिक-1/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2—राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सचिव ।

3—मंत्रियों के निजी सचिव को मंत्री जी के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र पाल खोसला,

मुख्य सचिव ।

---

अनुलग्नक–2

गोपनीय

राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव ।

अर्धशा० प० सं०–16/2/1983–का०–1
कार्मिक अनुभाग–1
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल, 1983

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा समय-समय पर इस बात की अपेक्षा की जाती रही है कि अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास नहीं किये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में अन्तिम बार शासकीय नीति से आपको गोपनीय शासनादेश संख्या बी0–1752/कार्मिक 1/82, दिनांक 10–12–1982 द्वारा पुनः अवगत कराते हुए निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

2—उक्त गोपनीय शासनादेश दिनांक 10–12–1982 के क्रम में शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोहों में अथवा विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण किये जाने अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेंगे। शासन की यह मंशा है कि ऐसे सभी समारोहों के मुख्य अतिथि/अध्यक्ष यथा सम्भव जन प्रतिनिधि रहें और अन्य कर्मचारियों द्वारा इन समारोहों को हर सम्भव सहयोग देकर सफल बनाया जाये ।

3—शासन की जानकारी में यह तथ्य लाये गये हैं कि दिनांक 10–12–82 को प्रसारित आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है । अतः यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में उद्घाटन एवं शिलान्यास अथवा अन्य सार्वजनिक समारोहों के प्रसंग में शासन द्वारा निर्धारित नीतियों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी । आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शासन की नीति से अवगत कराने की कृपा करें ।

4—इस संबंध में आपके स्तर से जारी किये गये निर्देशों की एक प्रति कृपया कार्मिक अनुभाग–1 को उपलब्ध करायें ।

भवदीय

राजेन्द्र पाल खोसला ।

मुख्य सचिव

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव ।

2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0 ।

संख्या–16/2/1983 (1)–कार्मिक–1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. महामहिम राज्यपाल, उ0 प्र0 के सचिव ।
2. माननीय मन्त्रियों के निजी सचिव को मन्त्री जी के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव ।

---